न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 17/2025 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये घनश्याम सिंह सोलंकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	बनाम	1. शंकर लाल बिरला पुत्र देवीलाल बिरला मैसर्स जय भोलनाथ सुगर कम्पनी, शॉप नं. 13, कृषि उपज मण्डी भीलवाडा 2. देवीलाल बिरला पुत्र लादू लाल बिरला मैसर्स जय भोलनाथ सुगर कम्पनी, शॉप नं. 13, कृषि उपज मण्डी भीलवाडा
– प्रार्थी		—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)एवं दण्डनीयधारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 25.06.2025

राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक प 5(1) चिस्वा./ग्रुप–3/2022 दिनांक 09.03.2023 एवं कमांक प 5(1) चिस्वा./ग्रुप–3/2023 दिनांक 13.03.2024 एवं कमांक प 5(1) चिस्वा./ग्रुप–3/2024 दिनांक 27.09.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया हैं। जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी शंकर लाल बिरला पुत्र देवीलाल बिरला मैसर्स जय भोलनाथ सुगर कम्पनी, शॉप नं. 13, कृषि उपज मण्डी भीलवाडा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को अन्य सामग्री के साथ घी (ब्राण्ड – सरस बेच नं. 340) इत्यादि का विकय कर रहा था। शंकर लाल बिरला पुत्र देवीलाल बिरला मैसर्स जय भोलनाथ सुगर कम्पनी, शॉप नं. 13, कृषि उपज मण्डी भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि खाद्य कारोबारकर्ता की दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय हेतु अन्य खाद्य सामग्री के साथ घी (ब्राण्ड – सरस बेच नं. 340) 15–15 किग्रा टीन में विकय हेतु रखा था। मिलावट का शक होने पर वास्ते जांच हेतु एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना विकता को फॉर्म 5 ए मे दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार घी (ब्राण्ड – सरस बेच नं. 340) नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। बाद जाँच नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति,कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य लाईसेंस की छायाप्रति, खाद्य

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)